प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश
विविध अपील संख्या 1288/2004

अपीलकर्ता [आवेदक] [प्रत्यर्थी]	1) लक्ष्मी नारायण पिता गोकुल प्रसाद, उम्र लगभग 46 वर्ष 2) शिव नारायण पिता गोकुल प्रसाद, उम्र लगभग 36 वर्ष दोनों निवासी तालापारा, मगरपारा चौक, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर।

बनाम

प्रत्यर्थी [अनावेदक]	1. श्याम बाई पत बंशलाल, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी राजेंद्र नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, [वादी संख्या 1] 2. मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ [प्रत्यर्थी संख्या 2] प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 फुलिया बाई के विधिक प्रतिनिधि हैं। 3. देवी बाई, उम्र लगभग 56 वर्ष 4. रज्जन, उम्र लगभग 41 वर्ष 5. रजनी, उम्र लगभग 36 वर्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5, द्वारिका प्रसाद [निवासी तालापारा, बिलासपुर] के पुत्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:–

श्री राम कुमार तिवारी:	अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता
श्री अहमद हुसैन:	प्रत्यर्थी संख्या 1, 3, 4 और 5 के अधिवक्ता
श्री जेडी बाजपेयी:	प्रत्यर्थी संख्या 2 के शासकीय अधिवक्ता

आदेश

(24 फरवरी 2006 को पारित)

1. यह अपील सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद से "संहिता") के आदेश 42 नियम (1) (ट) के अधीन तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा एमजेसी संख्या 31/2002 में पारित दिनांक 24.09.2004 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई है, जिसके अधीन संहिता

के आदेश 22 नियम 9 (2) और भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों को निरस्त कर दिया गया था।

2. इस अपील के निराकरण के लिए तथ्यात्मक सामग्री संक्षेप में यह है कि वाद संपत्ति की मालिक मृतिका जानकीबाई थी। बंसी लाल, गोकुल और द्वारिका श्रीमती जानकीबाई और भगवानदीन के बेटे थे। बंसी लाल और उनकी पत्नी मैनाबाई ने इस आधार पर वाद दायर किया कि वे गोकुल के साथ वाद संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार हैं। अपीलकर्ता मृतिका गोकुल के बेटे हैं। प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान, गोकुल की पत्नी दुलारा बाई, जिसे अभिलेख पर लाया गया था, की भी मृत्यु हो गई। मृतिका जानकी बाई के तीसरे बेटे द्वारिका प्रसाद की पत्नी फुलियाबाई के खिलाफ भी वाद दायर किया गया था। वाद में दावा किया गया था कि जानकी बाई द्वारा लक्ष्मी नारायण और शिव नारायण के पक्ष में निष्पादित वसीयत, विधि के विपरीत होने के कारण अवैध है। फुलियाबाई ने कथित वसीयत की वैधता पर भी आपत्ति जताई और वाद की संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा मांगा। अपीलकर्ताओं ने जानकी बाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वाद का बचाव किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विचारण न्यायालय ने बंसी लाल और फुलियाबाई के दावे का डिक्रीत किया। विचारण न्यायालय ने माना कि न केवल बंसी लाल बल्कि फुलियाबाई भी वाद की संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की हकदार थी और तदनुसार यह डिक्री पारित किया गया कि बंसी लाल, गोकुल और फुलियाबाई वाद की संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की सीमा तक हकदार हैं।

4. अपीलार्थीगण और उनके पिता ने डिक्री से व्यथित होकर अपील क्रमांक 31–अ/92 प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 21.12.92 को स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात बंसीलाल और मैनाबाई द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 166/93 प्रस्तुत की गई। द्वितीय अपील में माननीय उच्च न्यायालय मप्र ने दिनांक 12.09.1994 के आदेश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह कहते हुए प्रतिप्रेषित कर वापस भेज दिया कि फुलियाबाई की मृत्यु दिनांक 14.06.1986 को हो गई थी। प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, अत: प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील पर पुनः सुनवाई करने तथा यह विचार करने का निर्देश दिया गया कि क्या अपील केवल फुलियाबाई के विरुद्ध उपशमित हुई है या सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनर्विचार के पश्चात अपील को निरस्त कर दिया।

5. निम्न अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करने के पश्चात उक्त विवाद्यक पर विचार किया तथा सिविल अपील क्रमांक 20–अ/96 में दिनांक 07.02.97 को निर्णय एवं डिक्री पारित किया, जिसके अधीन सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपील को उपशमित अवधारित करते हुए अपील को निरस्त कर दिया।

6. उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित अपीलकर्ताओं ने व्य. प्र. सं. की धारा 100 के अधीन माननीय उच्च न्यायालय मप्र के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक 195/97 के अधीन अपील प्रस्तुत की, जिसमें तर्क दिया गया कि अपील सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध उपशमित नहीं हुई, इसलिए फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक नहीं था। द्वितीय अपील क्रमांक 195/97 का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय मप्र द्वारा दिनांक 15.04.1998 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि अपीलकर्ता ने सीधा दृष्टिकोण अपनाने अर्थात विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन दायर करने के स्थान पर न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया तथा अपने प्रयास में विफल रहे। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया कि आगे रिमांड द्वारा उनके मामले को फिर से प्रारम्भ करनेका कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए अपील को निरस्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 22.06.98 को संहिता के आदेश 22 नियम 9 (2) सहपठित धारा 151 संहिता के अधीन एक आवेदन और भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन एक अन्य आवेदन के साथ एक अन्य आवेदन दायर किया, जिसमें उपशमन को अपास्त करने और मृतिका फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु आदेश दिया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि वे लापरवाह नहीं थे और आवेदन सद्भावनापूर्ण है। आवेदन का प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 3, 4 और 5 द्वारा विरोध किया गया।

8. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने 12.09.1994 को द्वितीय अपील संख्या 166/93 का निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि चौथी प्रत्यर्थी, द्वारिका प्रसाद की विधवा श्रीमती फुलियाबाई की मृत्यु प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान 14.06.1986 को हो गई। इसलिए, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय अमान्य था, इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया गया और तीसरे

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर को अपील पर फिर से सुनवाई करने और इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया गया कि क्या अपील केवल चौथे प्रत्यर्थी के खिलाफ या सभी प्रतिवादियों के खिलाफ उपशमित की जाती है। निस्संदेह, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विवाद पर विचार किया और 07.02.1997 को सिविल अपील संख्या 20–अ/96 का निर्णय दिया और माना कि फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है, इसलिए अपील उपशमित की जाती है। उक्त निर्णय और डिक्री को माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 195/97 में चुनौती दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने 15.04.98 को इसे निरस्त कर दिया था।

9. आदेश 22 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसका पालन किया जाना चाहिए, जहां वाद के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों की मृत्यु, विवाह दिवालियापन होता है। ये प्रावधान अपीलों पर भी लागू होते हैं। संहिता के आदेश 22 नियम 3 में यह प्रावधान है कि यदि वादीगणों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बच जाता है, तो न्यायालय निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मृतिका के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाएगा और वाद को आगे बढ़ाएगा, लगभग यही प्रक्रिया नियम 4 के अंतर्गत प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रत्यर्थी की मृत्यु के मामले में निर्धारित की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यदि न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वाद लाने का अधिकार बच नहीं पाता है, तो यह एक औपचारिक निर्णय होता है जो विवाद के सभी या किसी भाग के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है, इसलिए आदेश डिक्री के बराबर होता है और अपील योग्य होता है। लेकिन यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वाद लाने का अधिकार बच जाता है; उस स्थिति में पक्षकार को विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करना होता है और यदि संबंधित पक्षकार निर्धारित समय के भीतर विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने में विफल रहता है, तो वाद या अपील, जैसा भी मामला हो, उपशमित हो जाती है और उसके अनुसरण में उपशमन या निरस्त करने का आदेश पारित किया जाता है। किसी पक्षकार द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आदेश पारित किया जाता है और उसे अपास्त करने के लिए संहिता के आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि वाद के उपशमन या निरस्त करने का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो वह आदेश संहिता के आदेश 43 नियम 1

(ट) के अनुसार आदेशों के विरुद्ध अपील के रूप में अपील योग्य है, इसलिए, पक्षकारों द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप पारित उपशमन या निरस्त करने का आदेश अधिकारों का न्यायनिर्णयन नहीं है इसलिए यह डिक्री नहीं है और उन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं है।

11. यहां वर्तमान मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले को रिमांड पर प्राप्त करने के बाद फुलियाबाई की मृत्यु पर विचार किया, जिनकी मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान 14.06.1986 को हुई थी और माना कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर नहीं लाया गया है इसलिए अपील उपशमित की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 20–अ/96 में दिनांक 07.02.97 को पारित आदेश डिक्री नहीं था। इसके बावजूद अपीलकर्ताओं ने द्वितीय अपील संख्या 195/97 प्रस्तुत की, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। द्वितीय अपील संख्या 195/97 दिनांक 15.04.98 के निरस्त होने के पश्चात अपीलकर्ताओं ने संहिता के आदेश 22 नियम 9(2) तथा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.1998 को यह आवेदन प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्रीमती फुलियाबाई, जिनके पक्ष में आंशिक डिक्री थी, की मृत्यु 14.06.1986 को हो गई। इसलिए 14.06.1986 से निर्धारित समय के भीतर यानि 90 दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं को उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए एक आवेदन दायर करना आवश्यक था। पुनः जब माननीय उच्च न्यायालय मप्र ने द्वितीय अपील क्रमांक 166/93 में आदेश दिनांक 12.09.94 के अधीन प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया और मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को यह विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित कर वापस भेज दिया कि क्या प्रत्यर्थी क्रमांक 4 फुलियाबाई, जिनकी मृत्यु 14.06.86 को प्रथम अपील के लंबित रहने के दौरान हुई थी, की मृत्यु के परिणामस्वरूप अपील पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उपशमित होती है। पुनः अपीलकर्ताओं को विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए संहिता के आदेश 22 नियम 9(2) के अधीन आवेदन दायर करने का अवसर मिला। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 20–अ/96 में दिनांक 07.02.97 को निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए कहा कि फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधि न ला पाने के कारण यह वाद समग्र रूप से उपशमित हो जाता है। यह आदेश अपील योग्य नहीं था। इसके स्थान पर अपीलकर्ताओं ने संहिता के आदेश 22 नियम 9 (2) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करते हुए

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश ने दिनांक 15.04.98 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निर्णय पारित किया:–

> "केवल इसलिए कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मृत्यु की तिथि के बिंदु पर विवाद्यक को गलत तरीके से विरचित किया, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं द्वारा उपशमन को अपास्त करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 9 और सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने में देरी की स्थिति में, फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन दायर करने से रोका गया था। अपीलकर्ताओं को नया रुख नहीं अपनाना चाहिए था। वे कम से कम यह विकल्प अपना सकते थे कि पहली अपील का उपशमन अपास्त होने योग्य है और फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए उपशमन, देरी की माफी को अलग रखने के लिए आवश्यक आवेदन दायर कर सकते थे। सीधा दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, उन्होंने न्यायालय को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अपने प्रयास में विफल रहे। आगे रिमांड द्वारा उनके मामले को फिर से खोलने का कोई सवाल ही नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर व्य. प्र. सं. के आदेश 22 नियम 9 (2) के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दायर नहीं किया, इसलिए न तो यह स्थापित हुआ कि वे लापरवाह नहीं थे और न ही उनका देरी से यह आवेदन दायर करना सद्भावनापूर्ण है। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर उचित चरणों में लागू किए जाने वाले उचित प्रावधानों का पालन नहीं किया। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्हें किसी भी स्तर पर आवेदन दायर करने से रोका गया था। न तो इस आशय का कोई तर्क है कि अपीलकर्ताओं को अपील जारी रखने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, न ही ऊपर बताए गए तथ्यात्मक विवरण उनकी सद्भावना का समर्थन करते हैं।

14. माननीय उच्च न्यायालय मप्र ने द्वितीय अपील क्रमांक 195/97 में अपने दिनांक 15.04.98 के निर्णय में माना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं को व्य. प्र.

सं. के आदेश 22 नियम 9(2) तथा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा उपशमन अपास्त करने तथा फुलियाबाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से रोका गया था। उक्त निष्कर्ष को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

15. मेरा मत है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तर्क के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आक्षेपित आदेश के अधीन सही ढंग से खारिज कर दिया है तथा वह आदेश इस न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप करने की मांग नहीं करता।

16. परिणामस्वरूप अपील निरस्त की जाती है।

17. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को अपना व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur